वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
मंत्रिमंडल के लिए जून, 2024 माह हेतु डीपीई का मासिक उपलब्धियां
*****

1. कैपेक्स लक्ष्य:

जून, 2024 तक चुनिंदा सीपीएसईज़ (वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य ₹100 करोड़ और उससे अधिक है) और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में वार्षिक कैपेक्स लक्ष्यों और इसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी दिनांक 05.07.2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। 7.76 लाख करोड़ रुपये (बजट अनुमान) के अनुमानित व्यय के मुकाबले, उपलब्धि **1.46 लाख करोड़ रुपये (लगभग) अर्थात् दिनांक 30.06.2024 तक लगभग 18.79% है।**

2. सीपीएसईज़ का संचालन:

i. शीर्ष समिति की सिफारिशों और माननीय मंत्री (वित्त) की मंजूरी के आधार पर, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को दिनांक 25 जून, 2024 को नवरत्न का दर्जा दिया गया।

ii. दिनांक 26 जून, 2024 को आयोजित अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रस्ताव पर विचार किया और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को नवरत्न का दर्जा देने की सिफारिश की।

iii. दिनांक 26 जून, 2024 को आयोजित अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने रेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरसीआईएल) को नवरत्न का दर्जा देने की सिफारिश की।

iv. डीपीई द्वारा आईआरसीटीसी में बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर 88 पदों को तत्काल आमेलन के नियम से छूट देने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया था।

v. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 27 जून, 2024 से तीन साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर एनएफडीसी में तीन पदों नामत: दो जीएम और एक डीजीएम को भरने के प्रस्ताव को डीपीई द्वारा मंजूरी दे दी थी।

vi. इरेडा में निदेशक (तकनीकी) के पद को निदेशक (परियोजना) के रूप में पुनः पदनामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

vii. "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और उससे नीचे के पद – दिनांक 01.01.2017 से वेतनमानों का संशोधन – संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान" के संबंध में डीपीई ने दिनांक 13.06.2024 को कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0002/2014-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-VIII/2024 जारी किया।

viii. "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और उससे नीचे के पद - संशोधित दरों पर आईडीए के भुगतान के लिए दिनांक 01.01.2007 से वेतनमानों का संशोधन" के संबंध में डीपीई ने दिनांक 13.06.2024 को कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0039/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-VIII/2024 जारी किया।

ix. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के संबंध में – दिनांक 01.01.1997 से वेतनमानों का संशोधन – संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान के संबंध में डीपीई ने दिनांक 18.06.2024 को कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0004/2014-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XII/2024 जारी किया।

x. 1987 और 1992 के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में आईडीए वेतनमानों का पालन करने वाले बोर्ड स्तर/बोर्ड स्तर के निचले स्तर के अधिकारियों और गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में डीपीई ने दिनांक 14.06.2024 को कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0003/2014-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XI/2024 जारी किया।

xi. डीपीई ने दिनांक 01.01.2024 से एचपीपीसी सिफारिशों द्वारा शासित 5वें सीपीसी वेतनमानों पर सीपीएसईज़ के सीडीए पैटर्न के कर्मचारियों को डीए के भुगतान के संबंध में दिनांक 14.06.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (42)/97-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-X/2024 जारी किया।

xii. डीपीई ने दिनांक 01.01.2024 से एचपीपीसी सिफारिशों द्वारा शासित छठे सीपीसी वेतनमानों पर सीपीएसईज़ के सीडीए पैटर्न के कर्मचारियों को डीए के भुगतान के संबंध में दिनांक 14.06.2024 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(54)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-IX/2024 जारी किया।

3. सीपीएसईज़ का समझौता ज्ञापन मूल्यांकन:

i. समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले 90 सीपीएसईज़ में से 59 के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए समझौता ज्ञापनों की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक आयोजित की गई। **59 सीपीएसईज़ में से 17 सीपीएसईज़ के मामले में समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया था।**

4. सीपीएसईज़ द्वारा एमएसईज़ और जीईएम के माध्यम से खरीद:

i. **वर्ष 2024-25 (जून, 2024 तक) के दौरान सीपीएसईज़ द्वारा एमएसई से खरीद अनिवार्य 25% के मुकाबले लगभग 40% थी।**

ii. **जून, 2024 (वित्तीय वर्ष 2024-25) तक जीईएम से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद 1,00,068 करोड़ रुपये थी, जबकि जून, 2023 (वित्तीय वर्ष 2023-24) तक यह 28,260 करोड़ रुपये थी।**

5. क्षमता निर्माण:

i. डीपीई ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से मनाली में जून, 2024 में एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति पर विशेष ध्यान देने के साथ निविदा में अनुबंध प्रबंधन/सुरक्षा उपायों पर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीपीएसईज़/एसएलपीई के 40 अधिकारियों ने भाग लिया।

ii. लोक उद्यम विभाग ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से लेह में दिनांक 13 और 14 जून, 2024 को सीपीएसईज़ के कार्यकारी निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए आवासीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न सीपीएसईज़ के 27 कार्यात्मक निदेशकों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें सीपीएसईज़ में लेखा परीक्षा कार्य की प्रभावशीलता में सुधार, सीपीएसईज़ में परिवर्तनकारी बोर्ड नेतृत्व, सार्वजनिक खरीद में चुनौतियां, सीपीएसईज़ में मध्यस्थता और सुलह से संबंधित सत्र प्रतिष्ठित संकाय द्वारा लिए गए थे। ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान डीपीई के ऑनलाइन पोर्टलों (एएमआरसीडी, सीएसआर, एमओयू, स्पैरो-सीपीएसई, सर्वे) पर प्रस्तुति भी दी गई।

6. एनएलएमसी द्वारा जारी दिशानिर्देश:

i. डीपीई ने दिनांक 14.06.2024 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़)/अन्य सरकारी संगठनों और अचल शत्रु संपत्तियों के संपत्ति मुद्रीकरण पर दिशानिर्देश जारी किए।

7. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति:

i. अद्यतन स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 182 मामले दर्ज किए गए। 16 मामलों को वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर खारिज कर दिया गया। 42 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 70 मामले निर्णय के लिए सचिवों की समितियों के पास हैं। शेष 54 मामले जांच और अनुमोदन के लिए संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास लंबित हैं।

****